न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
57 / 2024	10.06.2024	12.11.2025

उनवान

1. नवीन पुत्र सुरेश चंद
2. पुरूषोतम पुत्र सुरेश चंद
3. मु.अनिता पत्नी सुरेश चंद
4. स्यालु पुत्री सुरेश चंद
5. बाबूलाल पुत्र हनुमान
6. रामकिशोर पुत्र हनुमान

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. बाबुलाल पुत्र भूरामल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–12.11.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में संक्षेप में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर ग्रामीण में हाल खाता सं. 745 में वर्णित खसरा नं. 1242 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1244 रकबा 3.4400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1245 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 1246 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नं. 1247 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नं. 1248 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 1249 रकबा 0.2300 हैक्टेयर कुल किता 7 का कुल रकबा 1.7800 हैक्टेयर स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष दिनांक 14.05.2024 को आवेदन आदेश क्रमांक/भू.अ. / 2024/2655 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 को करवाया गया जो वर्तमान में प्रभावी है।

उक्त वर्णित प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि का अप्रार्थी सं. 2 सींवजोड काश्तकार है जिसकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1240/3, 4093/1239 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.4700 हैक्टेयर प्रार्थीगण की उपरोक्त प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वर्णित भूमि के पश्चिमी दिशा के सींव जोड स्थित है। जिस कारण उपरोक्त अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे एवं सींव जोड में अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करता रहता है तथा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित सींव डोल मे अनावश्यक तोड फोड करता रहता हैं जिस कारण

12/11/25
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौमूं के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 मे वर्णितानुसार प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि का पडौसी अर्थात अप्रार्थी सं. 2 की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाया जाने हेतु आवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 29.05.2024 को सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार की गई जिस रिपोर्ट अनुसार षदिनांक 29.05.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू के आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/2555 दिनांक 14.05.2024 की पालना में ग्राम कालाडेरा के आराजी खसरा नं. 1242, 1244, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर के सीमाज्ञान वास्ते मय राजस्व रिकॉर्ड मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थी खातेदारान द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्राईवेट मशीन द्वारा मुस्तकिल बिन्दु व खसरा नं. 1238 व 1241 किस्म गै.मु.कुआ को आधार मानकर उक्त आराजी खसरा नं. 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249 की बाहरी सीमाओ का सीमाज्ञान कर प्रार्थी खातेदारान को सीमाओ से अवगत करवाया गया। इस प्रकार उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही मौके पर की गई तथा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।ष जिसके संदर्भ मे आज दिवस तक भी किसी पडौसी काश्तकार ने कोई आपत्ति व उज्ज नही किया गया है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 1242, 1244, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, भू.अ.नि. क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ग्रामीण स्थित प्रार्थीगण की भूमि बाबत अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधि अनुसार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा0 पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा0 पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का पूर्ण सुनवाई/परिक्षणोपरान्त स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमूं के आदेश से दिनांक 29.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 के अनुसार प्रा0 पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 में वर्णित सर्वे–रिसर्वे पश्चात बने नवीन खसरा नम्बरान को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

12/11/2024
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सीमाओं के सबंध में विवाद का निपटारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–111 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा संयुक्त राजस्व टीम का गठन किया जावें। तहसीलदार द्वारा सीमाकंन के सबंध में प्रार्थी की भूमी के चारों दिशाओं में स्थित भूमी के काश्तकारों को इस आशय की सूचना प्रार्थी के खर्चे पर सीमाकंन हेतु नियत दिनांक से पूर्व दी जावें। प्रार्थी चिन्हित की गई सीमा पर बतौर निशानात सीमाचिन्ह अपने खर्चे पर कायम कर सकेगे।

यह आदेश केवल सीमाचिन्ह बतौर निशानात कायम करने तक सीमित है। इस आदेश की पालना में प्रार्थी किसी अन्य पडौसी के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने के अधिकारी नही होगें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (चौमू) एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)